Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No.127/2023

No. E.505/0/2/PLB/IV

Kolkata, Dated: 31/10/2023

All Concerned
(as per standard list)

Sub: Grant of ad-hoc bonus to the Group 'C' RPF/RPSF personnel for the financial year 2022-23.

******

A copy of Ministry of Railways (Railway Board) letter bearing number E(P&A)II/2023/Bonus-1, dated 25/10/2023 (**RBE No. 119/2023**) on the above cited subject is circulated herewith along with its enclosures, for information and further necessary action.

DA: As above.

(S.K.Chattopadhyay)
Sr. Personnel Officer/HQ
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No. 24122 (Rly.)
Email ID: sandip.chattopadhyay@gov.in

Index No. 1051: Grant of ad-hoc bonus equivalent to 30(thirty) days emoluments to the Group 'C' RPF/RPSF personnel for the financial year 2022-23.

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

RBE No. 119/2023
New Delhi, dated 25.10.2023

No.E(P&A)II/2023/Bonus-1

The General Managers/CAOs (R),
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Grant of ad-hoc bonus to the Group 'C' RPF/RPSF personnel for the financial year 2022-23.

The President is pleased to decide that all Group 'C' RPF/RPSF personnel, may be granted ad-hoc bonus equivalent to 30 (thirty) days emoluments for the financial year 2022-23, without any wage eligibility ceiling. The calculation ceiling for payment of ad-hoc Bonus under these orders shall be monthly emoluments of ₹7000/-, as revised w.e.f 01.04.2014 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure)'s OM No. 7/4/2014/E.III(A), dated 29th August, 2016.

2. The benefit will be admissible subject to the following terms and conditions:-

a) Only those Group 'C' RPF/RPSF personnel who were in service on 31.3.2023 and have rendered at least six months of continuous service during the year 2022-23 will be eligible for payment under these orders. Pro-rata payment will be admissible to the eligible personnel for period of continuous service during the year from six months to a full year, the eligibility period being taken in terms of number of months of service (rounded off to the nearest number of months).

b) The quantum of Non-PLB (ad-hoc bonus) will be worked out on the basis of average emoluments/calculation ceiling whichever is lower. To calculate Non-PLB (ad-hoc bonus) for one day, the average emoluments in a month will be divided by 30.4 (average number of days in a month). This will, thereafter, be multiplied by the number of days of bonus granted. To illustrate, taking the calculation ceiling of ₹7000/- (where actual average emoluments exceed ₹7000), Non-PLB (ad-hoc bonus) for thirty days would work out to ₹7000x 30/30.4 = ₹6907.89 (rounded off to ₹6908/-)

c) All payments under these orders will be rounded off to the nearest rupee.

d) Various points regarding regulation of Ad-hoc/Non-PLB Bonus are given in the **Annexure.**

e) All the Group 'C' RPF/RPSF personnel, regardless of whether they are in uniform or out of uniform and regardless of place of their posting, shall be eligible for ad-hoc bonus in terms of these orders.

Point		Clarification	
			total amount admissible, if any, for prior to superannuation and that for re-employment period being restricted to the maximum admissible under ad-hoc bonus under these orders.
(g)	Employees on half-pay leave/E.O.L./leave not due/study leave at any time during the accounting year.	(g)	Except in the case of leave without pay the period of leave of other kinds will be included for the purpose of working out eligibility period. The period of E.O.L./dies non will be excluded from eligibility period but will not count as break in service for the purpose of ad-hoc bonus.
(h)	Employees under suspension at any time during the accounting year.	(h)	Subsistence allowance given to an employee under suspension for a period in the accounting year cannot be treated as emoluments. Such an employee becomes eligible for the benefit of ad-hoc bonus if and when reinstated with benefit of emoluments for the period of suspension, and in other cases such period will be excluded for the purpose of eligibility as in the case of employees on leave without pay.
(i)	Employees transferred from one Ministry/department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another within the Government of India or a union Territory Government covered by ad-hoc bonus orders and vice versa.	(i)	Employees who are transferred from any of the Ministry/Department/Office covered by ad-hoc bonus orders to another such office without break in service will be eligible on the basis of combined period of service in the different organizations. Those who are nominated on the basis of a limited departmental or open competitive exam from one organization to a different organisation will also be eligible for the ad-hoc bonus. The payment will be made only by the organization where he was employed as on 31st March, 2023 and no adjustments with the previous employer will be necessary.
(j)	Employees who are transferred from a Government Department/organization covered by ad-hoc bonus orders to a government Department/Organization covered by productivity – Linked bonus scheme or vice versa.	(j)	They may be paid what would have been paid on the basis of emoluments in ad-hoc bonus covered department for the entire year less the amount due as productivity-linked bonus. The amount so calculated may be paid by department where he was working on 31st March 2023 and/or at the time of payment.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

आरबीई सं. 119/2023

सं.ई (पी एंड ए)II/2023/बोनस-1

नई दिल्ली, दिनांक: 25.10.2023

महाप्रबंधक/सीएओ (आर),
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: आरपीएफ/आरपीएसएफ के समूह 'ग' कार्मिकों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तदर्थ बोनस प्रदान करना।

राष्ट्रपति जी ने सहर्ष विनिश्चय किया है कि आरपीएफ/आरपीएसएफ के सभी समूह "ग" कार्मिकों को मजूरी पात्रता की सीमा के बिना वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30 (तीस) दिनों की परिलब्धियों के समतुल्य तदर्थ बोनस प्रदान किया जाए। इन आदेशों के अंतर्गत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए गणना सीमा 7000/- रुपए की मासिक परिलब्धि होगी जैसा कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं.7/4/2014/ईIII(ए) के तहत 01.04.2014 से संशोधित किया गया था।

2. यह लाभ निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य होगा:

(क) इन आदेशों के अंतर्गत भुगतान के लिए आरपीएफ/आरपीएसएफ के समूह "ग" के केवल वे कार्मिक पात्र होंगे जो 31.03.2023 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2022-23 के दौरान कम-से-कम छह माह की निरंतर सेवा दी हो। पात्र कार्मिकों को छह माह से लेकर पूरे एक वर्ष के दौरान की गई निरंतर सेवा अवधि में सेवा के माह की संख्या (जिसे माह की निकटतम संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) की पात्रता अवधि के अनुसार यथानुपात भुगतान देय होगा।

(ख) गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की राशि की गणना औसत परिलब्धियों/गणना सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए एक माह की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक माह में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद इस संख्या को दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 7000/- रुपए की गणना सीमा (जहां वास्तविक औसत परिलब्धि 7000/- रुपए से अधिक हो) मानते हुए तीस दिनों का गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) 7000 x 30/30.4 = 6907.89 रु. (6908/- रुपए में पूर्णांकित) होगा।

(ix) नं.9 बटालियन/जगाधरी
(x) नं.10 बटालियन/धनबाद
(xi) नं.11 बटालियन/गेहरारा
(xii) नं.12 बटालियन/ठाकुर्ली
(xiii) नं 14 बीएन/न्यू कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)
(xiv) नं 15बीएन/उधमपुर (जम्मू-कश्मीर)
(xv) नं 16बीएन/आसनसोल (पश्चिम बंगाल)

गौरव पुरी

(गौरव पुरी)
उप निदेशक, पीसी-V
रेलवे बोर्ड
टेली नं.- 011-47845119
ईमेल आईडी: gaurav.rb1@gov.in

सं.ई (पी एंड ए)II/2023/बोनस-1
नई दिल्ली, दिनांक: 25.10.2023

प्रतिलिपि:-

(i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ।
(ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।
(iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
(iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।
(v) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।
(vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।
(vii) अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
(ix) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(x) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन।
(xi) महासचिव, रेलवे बोर्ड गैर-लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन।
(xii) जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन, रेल भवन।
(xiii) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलॉइज़ एसोसिएशन।
(xiv) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन।
(xv) ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे एम्पलॉइज़ एसोसिएशन।
(xvi) जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरूग्राम।

नवीन कुमार

कृते प्रधान कार्यकारी निदेशक/आईआर
रेलवे बोर्ड

(छ) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय अर्ध वेतन छुट्टी/ ई.ओ.एल/ अनर्जित छुट्टी/ अध्ययन अवकाश पर हों।	(छ) केवल बिना वेतन की छुट्टी के मामले के अलावा अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि को पात्रता की अवधि के आकलन के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तदर्थ बोनस के लिए ई.ओ.एल./अकार्य दिवस को पात्रता की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु इनकी गणना सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं की जाएगी।
(ज) कर्मचारी, जो लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निलंबित हों।	(ज) लेखा वर्ष की अवधि में निलंबित किए गए कर्मचारी को दिए गए निर्वाह भत्ते को परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र होगा यदि उसे निलंबन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ के साथ बहाल किया जाता है, और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के उद्देश्य के लिए बाहर रखा जाएगा जैसा कि बिना वेतन छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।
(झ) तदर्थ बोनस आदेशों के दायरे में आने वाले भारत सरकार या संघ शासित प्रदेश सरकार के मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय से तदर्थ बोनस आदेशों के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों और विलोमत: के दायरे में आने वाले स्थनांतरित कर्मचारी।	(झ) कर्मचारी जो तदर्थ बोनस आदेशों के दायरे में आने वाले किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से सेवा में बिना ब्रेक के ऐसे किसी अन्य कार्यालय में स्थानांतरित किए जाते हैं, वे विभिन्न संगठनों में सेवा की संयुक्त अवधि के आधार पर पात्र होंगे। कर्मचारी जो एक संगठन से किसी अन्य संगठन में सीमित विभागीय या खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर नामित होंगे, वे भी तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे। भुगतान केवल उस संगठन द्वारा किया जाएगा जहां वह 31 मार्च, 2023 तक नियोजित था और इसके लिए पिछले नियोक्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।
(ञ) तदर्थ बोनस आदेशों द्वारा कवर किए गए सरकारी विभाग/ संगठन से उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना द्वारा कवर किए गए सरकारी विभाग/संगठन अथवा विलोमतः में स्थानांतरित कर्मचारी।	(ञ) उन्हें उसी राशि का भुगतान किया जाएगा जिसे पूरे वर्ष के लिए तदर्थ बोनस द्वारा कवर किए गए विभाग के वेतन के आधार पर किया जाना था, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस से कम है। इस प्रकार गणना की गई राशि का भुगतान उस विभाग से किया जाएगा जहां कर्मचारी 31 मार्च 2023 और/अथवा भुगतान के समय कार्यरत है।
(ट) नाममात्र निश्चित भुगतान पर नियुक्त अंशकालिक कर्मचारी।	(ट) पात्र नहीं है।